

केन्द्रीय सूचना आयोग
वावा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/306
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00268
CICOM/R/2018/00952

दिनांक: 13.12.2018

अपीलकर्ता : श्री अमल कांति रॉय,
415/5/ई, भूली नगर,
पो0 - भूली, जिला- धनबाद,
झारखंड - 828104.

निर्णय की तारीख: 13.12.2018

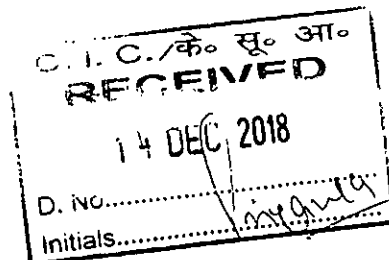
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	13.09.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	09.10.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. एस. रोहिल्ला
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	12.11.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	540/27.11.2018 (5686/26.11.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 13.09.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CICC/SH/A/2014/002718, 1850, 2697 से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस. एस. रोहिल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 13.09.2018 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री एस. एस. रोहिल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2018/00952/SB के माध्यम से दिनांक 09.10.2018 को प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, वावा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



51/11/18
(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

14/12/18